न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

(1)

द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम0पी0 वाद संख्या–347/2019

प्रथम पक्ष :–1. जबीर अंसारी पिता स्व0 कमलुद्दीन अंसारी सा0 मोहनडीह पो0 घटीयाली, थाना पिण्ड्राजोरा जिला–बोकारो।

–: बनाम् :–

द्वितीय पक्ष :–1. यासीन अंसारी पिता स्व0 रमजान अंसारी 2. तहीर अंसारी पिता स्व0 अबुल अंसारी 3. क्यूम अंसारी पिता स्व0 अबुल अंसारी सा0 मोहनडीह पो0 घटीयाली, थाना पिण्ड्राजोरा जिला–बोकारो।

सूचना दोनों पक्षों के सदस्यों को निर्गत

थाना प्रभारी पिण्ड्राजोरा के डी0 आर नं0 1805/19 दिनांक 01.09.2019 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी पिण्ड्राजोरा थाना से अग्रसारित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरूद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति–व्यवस्था बनाया जा सके।

अनुसूची (अ) का विवरण

राजस्व ग्राम का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
घटीयाली	पिण्ड्राजोरा	176	1409	13 डी0

चौहद्दी

उत्तरः– जमाल अंसारी । दक्षिण :– कारीम अंसारी ।
पूरबः– कारीम अंसारी। पश्चिमः– सिद्दीक अंसारी ।

अनुसूची (ब) का विवरण

राजस्व ग्राम का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
घटीयाली	पिण्ड्राजोरा	176	1412	46 डी0 में से 1.5 डी0

चौहद्दी

उत्तरः– ताहीर अंसारी । दक्षिण :– जमील अंसारी ।
पूरबः– करीम अंसारी। पश्चिमः– समशुद अंसारी ।

अनुसूची (ब) का विवरण

राजस्व ग्राम का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
घटीयाली	पिण्ड्राजोरा	176	1425	70 डी0 में से 1.5 डी0

चौहद्दी

उत्तरः– जाबीर अंसारी । दक्षिण :– प्लॉट नं0 1425 का शेष भाग।
पूरबः– अजमात अंसारी। पश्चिमः– सिद्दीक अंसारी

अतः सम्यक विचारोपरान्त द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 7/11/19 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण–पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष्य कर दिया जाय।

23/10/19

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

आज दिनांक 1508 23/10/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

7/11/19 प्रथम पक्ष को सूचना निबंधित डाक के माध्यम से भेजा गया।
द्वि० पक्ष की ओर से हाजरी है तथा S/C दाखिल किया गया।
प्रथम पक्ष की ओर से वकालतन हाजरी है तथा S/C हेतु समय का आवेदन है।
दिनांक 21/11/19 को रखें

S.D.M
Chas

21/11/19 प्रथम पक्ष के वकालतन हाजरी है S/C हेतु समय का आवेदन है
द्वि० पक्ष के के सदाचार का वकालतन हाजरी है।
दिनांक 5/12/19 को रखें

S.D.M
Chas

5/12/19 प्रथम पक्ष के वकालतन हाजरी है S/C दाखिल किया गया। पुनः द्वि० पक्ष की वकालतन हाजरी है। द्वि० पक्ष अनुपस्थित
दिनांक 19/12/19 को रखें

S.D.M
Chas

19/12/19 प्रथम पक्ष के वकालतन हाजरी है
द्वि० पक्ष के के सदाचार का हाजरी है
दिनांक 20/12/19 को रखें

S.D.M
Chas

S.D.M
Chas

...0 560 (2)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
[illegible]19	द्वि० पक्ष के शो-कॉज का जवाब है। प्रथम पक्ष के वकालतनामा हाजरी है। दिनांक 21/12/19 को रखें। S.D.M. Chas	
21/12/19	प्रथम पक्ष की वकालतनामा हाजरी है। द्वि० पक्ष की शो-कॉज का जवाब है। दिनांक 4/1/20 को रखें। S.D.M. Chas	
4/1/20	प्रथम पक्ष के वकालतनामा हाजरी है। द्वि० पक्ष के शो-कॉज का हाजरी है। 1st party seeks status quo and await partition suit. 2nd party – already partition in the past. – sold in the past, a part of 1st party land. Case dropped with observation to maintain peace by both the parties. [signature] 4/1/20	[illegible] [illegible]

Digitally signed by PRANJAL DHANDA
Date: 2025.08.11 14.17.55 +05:30
Location: 192.168.1.3